कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(अभियंत्रण अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक–अभि0–/766/एन0एम0ए0एम0पत्रा0/2026–27/लखनऊ/दिनांक– 10 जुलाई, 2026

समस्त जनपदीय, उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

विषय– भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या 13–2/2021–M&T[I&P] (93082) दिनांक 07.07.2026 के कम में कृषि यंत्रों के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का प्रदर्शन कराए जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 13–2/2021–M&T[I&P] (93082) दिनांक 07.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध निर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा कृषि यंत्रों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के अनिवार्य प्रदर्शन के संबंध में राज्य स्तर पर अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कम में आपसे अपने जनपद में निम्न बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है–

1. कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले सभी कृषि यंत्रों पर निर्माता/विक्रेता द्वारा MRP स्पष्ट एवं प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो।
2. यंत्र पर अंकित MRP निर्माता की वेबसाइट तथा विक्रेता के शोरूम में प्रदर्शित MRP एक समान हो।
3. जहां लागू हो, राज्य कृषि विभाग के पोर्टल पर भी MRP प्रदर्शित किया गया हो।
4. लाभार्थियों से निर्धारित MRP से अधिक राशि किसी भी स्थिति में न ली जाए।
5. केवल ऐसे निर्माता/विक्रेता ही योजनाओं में अनुमोदित/पैनलित रहें, जो उपर्युक्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन कर रहे हों।

उक्त बिंदुओं के संबंध में अपने जनपद में की गई कार्यवाही एवं वर्तमान अनुपालन की विस्तृत आख्या (Action Taken Report) निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित आख्या समय से भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

इस कार्य को अत्यंत प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-प्रारूप

संयुक्त कृषि निदेशक(अभि0),
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक–अभि0–/ /एन0एम0ए0एम0/2026–27/लखनऊ/दिनांक– उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कृषि निदेशक उ0प्र0, महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रतिनिधि, कृषि यंत्र निर्माता कम्पनी (ई–मेल के माध्यम से)।

संयुक्त कृषि निदेशक(अभि0),
कृषि भवन, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (अभियंत्रण अनुभाग) के पत्र संख्या- 766, दिनाक 10 जुलाई 2026

सलाग्न -प्रारूप

Action Teken Repors regarding compliance with the Departments instruction on display of Maximum Retail price (MRP) of agricultural Machinery under agricultural Mechanization schemes -reg

क्र0 स0	यन्त्र विक्रता/डीलर का नाम	कृत कार्यवाही	अभ्युक्ति

Scanned with OKEN Scanner